दिनांक : 11 मार्च, 2014

सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी

– अरूण जेटली
राज्यसभा में विपक्ष के नेता

उच्चतम न्यायालय ने एक एनजीओ "पब्लिक इन्टरस्ट फाउंडेशन" द्वारा दायर एक याचिका पर अंतरिम आदेश दिया है। इसमें कहा गया है कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार और अन्य गंभीर अपराधों से जुड़े जिन मामलों में दो वर्ष अथवा अधिक की सजा का प्रावधान है, उनमें रोजाना तेजी से सुनवाई करते हुए इसे आरोप तय होने के एक साल के भीतर पूरा किया जाए। न्यायालय ने यह भी कहा कि अगर मुकदमे की सुनवाई एक वर्ष के भीतर पूरी नहीं होती है तो सुनवाई न्यायाधीश संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इसका कारण बताए।

राजनीति का आपराधिकरण भारतीय राजनीति के सामने एक गंभीर मुद्दा है। बीमारी यह है कि राजनैतिक पार्टियां ऐसे लोगों को चुनाव मैदान में उतार देती हैं जो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं और जिनके खिलाफ आरोप पत्र लंबित है। इसके कारण देश की जनता के मन में राजनीति की गुणवत्ता और संसद तथा विधानसभाओं में प्रवेश करने वाले लोगों को लेकर आशंकाएं पैदा हो जाती है। निर्वाचन आयोग और कानून आयोग ने साधारण सुझाव दिए हैं। उनका तर्क है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ अपराधों के किसी विशिष्ट वर्ग में आरोप तय हो चुके हैं वह उम्मीदवार बनने के योग्य नहीं होगा। जबकि संविधान और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम दोषी व्यक्तियों को उम्मीदवार बनने से रोकता है ऐसे राजनीतिज्ञों पर कोई प्रतिबंध नहीं है जिनके खिलाफ आरोप पत्र दायर हो चुका है। इससे कानूनी जरुरत और जनता की राय के बीच संबंध टूटता है।

राजनैतिक दलों की अनेक बैठकों में इस मुद्दे पर चर्चा की जा चुकी है लेकिन इस लंबित समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया है। राजनैतिक दलों का तर्क है कि कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को तब तक बेगुनाह माना जाता है जब तक उसे दोषी नहीं ठहराया जाता। अतः किसी ऐसे व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता जिसके खिलाफ आरोप पत्र दायर हो चुका हो। उनकी यह भी दलील है कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है और अनेक राज्यों में प्रतिशोध की राजनीति को देखते हुए राजनैतिक विरोधियों के खिलाफ झूठे मामले गढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। आरोप तय करते समय अदालतें प्रथम दृष्टया सामग्री देखती हैं। आरोप तय करना स्वयं में एक अयोग्यता होने के कारण प्रक्रिया के दुरुपयोग को बढ़ावा दे सकती है।

एनडीए सरकार के दौरान हमने बीच के रास्ते पर काम किया। एक विधेयक तैयार किया गया जिसमें 'जघन्य अपराधों' की एक निश्चित श्रेणी बनाने का प्रस्ताव रखा गया। यदि जघन्य अपराधों से जुड़े दो मामलों में आरोप तय कर दिए जाते हैं, तो वह व्यक्ति चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। एनडीए के समर्थन वाले इस प्रस्ताव को अन्य राजनैतिक दलों ने खारिज कर दिया।

इसके बाद क्या समाधान है? क्या व्यवस्था मूकदर्शक बनकर रह सकती है? उच्चतम न्यायालय ने समाधान निकालने की कोशिश की है। समाधान में इस सिद्धांत का सम्मान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक उसे दोषी नहीं ठहरा दिया जाता। इसमें दुर्भावना से प्रेरित आरोप पत्रों के खिलाफ फिल्टर दिया गया है। इसमें उन व्यक्तियों पर रोक नहीं है जिन पर सिर्फ आरोप हैं। साथ ही किसी भी राजनीतिज्ञ, सांसद अथवा विधायक को मुकदमे की सुनवाई में देरी करने का अधिकार नहीं है। सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों को नैतिक अथवा नागरिक कानूनों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उनसे जुड़े मामलों पर सुनवाई तेजी से और रोजाना होनी चाहिए। केवल कुछ असाधारण कारणों को छोड़कर मुकदमे की सुनवाई आमतौर से एक वर्ष के भीतर पूरी हो जानी चाहिए।

उच्चतम न्यायालय के आदेश में इस बात का समर्थन किया गया है कि किसी व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक उसे दोषी साबित न कर दिया जाए। साथ ही उसने निर्वाचित प्रतिनिधियों को कठोर और तीव्र तहकीकात के सामने रख दिया है। मैं इस आदेश का स्वागत करता हूं। यह सही दिशा में उठाया गया कदम है।

*****